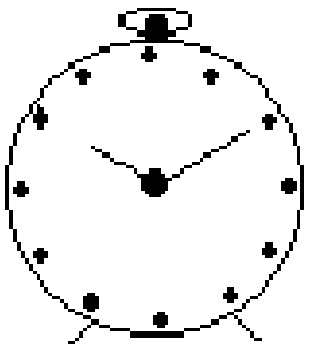
संविधान



राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी

10, डा. बिशम्भर दास मार्ग, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 23359218, 23752938 फैक्स : 23352112

विषय सूची

अनुच्छेद संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	पार्टी का नाम	
2.	उद्देश्य	
3.	झण्डा	
4.	चुनाव चिन्ह	
5.	निर्वाचक / अंगभूत	
6.	सदस्यता / सक्रिय सदस्यता	
7.	पार्टी समितियों की अवधि	
8.	महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण	
9.	अधीनस्थ समितियों के अधिकारक्षेत्र और संविधान	
10.	जिला समिति	
11.	राकाँपा की क्षेत्रीय समितियाँ	
12.	राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – प्रदेश समिति (एस.सी.)	
13.	प्रतिनिधिगण	
14.	राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – राष्ट्रीय समिति	
15.	सहवरण सदस्यगण	
16.	पदेन सदस्यगण	
17.	विषय समिति	
18.	राष्ट्रीय अधिवेशन	
19.	विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन	
20.	अध्यक्ष का चुनाव	
21.	राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कार्यकारिणी समिति (एन.सी.पी.–डब्ल्यू.सी.)	
22.	कोषाध्यक्ष	
23.	महासचिवगण	
24.	सदस्यता की जाँच	
25.	चुनाव विवाद	
26.	चुनाव प्रणाली	
27.	संसदीय परिषद (बोर्ड)	
28.	चुनाव समितियाँ	
29.	रिक्तियाँ	
30.	प्रकोष्ठ एवं विभाग	
31.	विशिष्ट समितियाँ	
32.	अनुशासन	
33.	नीति अनुसंधान	
34.	नीति विषयक समिति	
35.	पार्टी पत्रिका	
36.	वित्त और लेखा निरीक्षण	
37.	विविध	
38.	संविधान में परिवर्तन	
प्रपत्र–'क'	प्राथमिक सदस्यता प्रपत्र (फार्म)	
प्रपत्र–'ख'	सक्रिय सदस्यता प्रपत्र (फार्म)	
प्रपत्र–'ग'	सक्रिय सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र (फार्म)	

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (राकाँपा) का
संविधान

अनुच्छेद 1 : पार्टी का नाम :–

पार्टी का नाम 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी' होगा और आगे से इसका सम्बोधन पार्टी होगा; इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

अनुच्छेद 2 : उद्देश्य :–

भारतीय संविधान में निहित विधान के प्रति पार्टी सत्यनिष्ठ और राजभक्त होगी तथा उसमें स्थापित मर्यादाओं विशेषकर इनकी भुमिकाओं को निभाने में समर्पित होगी। विशेष रूप से पार्टी के निम्न लक्ष्य होंगेः–

i. सभी प्रकार के संकीर्ण एवम् अलगाववादी तत्वों का उन्मूलन करते हुए भारतीय गणतंत्र के समाजवादी विचारधारा को विशेष महत्व देते हुए राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित, विस्तृत एवम् सुदृढ़ करते हुए भारत की राष्ट्रीय पहचान बनाए रखना।

ii. विविधता में एकरूपता के विचार को निर्मित करते हुए भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता बनाए रखना तथा गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप संघीय प्रणाली को सुदृढ़ करना एव शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर इसे ग्रामीण स्तर तक ले जाना।

iii. आर्थिक विकास एवं सम्पन्नता की वृद्धि, निष्पक्षता एवम् सामाजिक न्याय पर बल देते हुए प्रतियोगिता, आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत सूत्रपात और उद्यमों द्वारा आर्थिक वृद्धि एवम् समृद्धि को प्रोत्साहित करना।

iv. विधि एवं संवैधानिक व्यवस्था पर आधारित संसदीय एवम् सामुहिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करना।

v. समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं एवं विकलांगों के हितों की रक्षा करना और सकारात्मक कार्यों द्वारा उन्हें सशक्त करना।

vi. विज्ञान और तकनीकी को प्रोत्साहित करना साथ ही साथ पारम्परिक ज्ञान एवम् स्रोतों से आधुनिक भारत के समाज की आवश्यकतानुसार परिवर्तन लाते हुए उन्हें अपनाना और उनके अनुपालन पर नियंत्रण रखना ताकि जनमानस और अन्तोगत्वा आने वाली पीढ़ि का चहुँमुखी विकास, विज्ञान एवं तकनीकी को चेतना की जागरूकता और वातावरण तुरन्त तैयार हो।

vii. देश के भीतर और विश्व में शान्ति प्रयासों को सशक्त बनाना ताकि विश्व में सार्वभौमिक, पक्षपात रहित निःशस्त्रीकरण हो, विश्व के मामलों में भारत की अपनी स्वतंत्र छवि बनी रहे और सशक्त एवं वास्तविक प्रतिनिधित्व वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में प्रतिबद्ध रहे।

viii. इस बात को सुनिश्चित करना कि पार्टी हर स्तर पर संस्थागत एवम् प्रजातान्त्रिक ढंग से कार्य करेगी और सभी को अपने विचारों को निर्भिकतापूर्वक आदान–प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और हर क्षेत्र में उत्थान हेतु सदस्यों को अपना उत्तम व्यक्तिगत योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।

अनुच्छेद 3 : ध्वज/झण्डा :–

पार्टी का ध्वज तिरंगा होगा, केसरिया रंग सबसे ऊपर, श्वेत मध्य में और हरा रंग नीचे होगा। तीनों भाग त्रिकोणात्मक शक्ल में होंगे। ध्वज की लम्बाई इसके चौड़ाई की ड्यौढ़ी होगी। श्वेत रंग की चौड़ाई वाला हिस्सा ध्वज के ऊपरी और नीचले किनारों से ध्वजदण्ड से मिलेंगे। अन्य भागों की चौड़ाई वाले हिस्से विपरीत दिशा में होंगे। श्वेत रंग के चौड़ाई की तरफ 'घड़ी' का निशान गाढ़ा एवं स्पष्ट बनेगा।

vuqPNsn 4 % pquko 

भारत के चुनाव आयोग द्वारा आवंटित 'घड़ी' पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा जो ऊपर दर्शाया गया है।

अनुच्छेद 5 : निर्वाचक/अंगभूत :–

पार्टी में राष्ट्रीय अधिवेशन और इसके विशेष सत्र तथा निम्नांकित सम्मिलित होंगेः–

i. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – राष्ट्रीय समिति — एन.सी.पी–एन.सी.
ii. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – कार्यकारिणी समिति — एन.सी.पी–डब्ल्यू.सी.
iii. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – प्रदेश समिति — एन.सी.पी–एस.सी
iv. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – केन्द्र शासित क्षेत्र समिति — एन.सी.पी–केन्द्र शासित क्षेत्र समिति
v. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – क्षेत्रीय समिति — एन.सी.पी–आर.सी.
vi. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – जिला समिति — एन.सी.पी–डी.सी.
vii. जिला समितियों के अधीनस्थ उप समितियाँ जैसे – प्रखण्ड/निर्वाचन क्षेत्रीय समिति और अन्य ऐसी समितियाँ जिसे प्रदेश समिति निर्धारित करे।
viii. संविधान में उल्लेखित पार्टी समितियों के सभी संक्षिप्त नाम जैसे एन.सी.,डब्ल्यू.सी., एस.सी, केन्द्र शासित क्षेत्र समिति, आर.सी., डी.सी., सी.सी, ए.सी., सी.डी.सी., टी.सी. और यू.सी. को एन.सी.पी–एन.सी., एन.सी.पी–डब्ल्यू.सी., एन.सी.पी–एस.सी, एन.सी. पी–केन्द्र शासित क्षेत्र समिति, एन.सी.पी–आर.सी., एन.सी.पी–डी.सी., एन.सी.पी–सी. सी, एन.सी.पी.–ए.सी., एन.सी.पी–सी.डी.सी., एन.सी.पी–टी.सी., एन.सी.पी.–पी.सी. और एन.सी.पी–यू.सी. पढ़ा जाऐ।

स्पष्टीकरण :–

i. भारतीय संविधान में प्रदेश एवम् केन्द्र शासित क्षेत्र की रेखांकित सीमायें ही प्रदेश समिति और केन्द्र शासित क्षेत्र समिति की सीमायें होंगी।

इन समितियों का मुख्यालय वही होगा जो प्रदेश और केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्यालय हैं जब तक प्रदेश समिति राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी समिति (डब्ल्यू.सी.) के पूर्व अनुमति से कोई परिवर्तन नहीं करती।

ii. कार्यकारिणी समिति सम्बन्धित प्रदेश समितियों के परामर्श से उनके सीमाओं को समाप्त या पूर्ण/आंशिक विलय करके पुनर्सीमांकन कर सकती है।

iii. कार्यकारिणी समिति सम्बन्धित प्रदेश समितियों के परामर्श से पार्टी के क्षेत्रीय समितियों का गठन कर सकती है यदि पार्टी को सशक्त एवं संगठनात्मक कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो।

क्षेत्रीय समिति का क्षेत्र कार्यकारिणी समिति द्वारा सीमांकन किया जाएगा। क्षेत्रीय समिति सभी मामलों में प्रदेश समिति के अधीनस्थ होगी सिवाय महानगरों, निगमों और अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव से सम्बन्धित मामलों और क्षेत्र के अधीन उन स्थानीय निकायों के सदस्यों के कार्यकलापों के।

क्षेत्रीय समिति के अधिकारक्षेत्र के अधीन जिला समितियाँ क्षेत्रीय समितियों के अधीनस्थ होंगी और क्षेत्रीय समितियों के मार्गदशन एवं देख–रेख में कार्य करेगी।

प्रदेश समिति के उपाध्यक्ष क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष होंगे।

iv. कार्यकारिणी समिति सम्बन्धित प्रदेश समितियों के परामर्श के उपरान्त जिला समितियों के क्षेत्र और मुख्यालय को निर्धारित करेगी। वैसे ही अन्य प्रदेश स्तरीय उप समितियों का निर्धारण सम्बन्धित प्रदेश समिति करेगी।

अनुच्छेद 6 : सदस्यता/सक्रिय सदस्यता :–

i. किसी भी व्यक्ति के पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगीः–

(अ) आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
(ब) अनुच्छेद 2 में वर्णित पार्टी के उद्देश्यों के स्वीकार्य और अंशदान के लिए प्रपत्र–'ए' में लिखित रुप से देना होगा।
(स) त्रैवार्षिक चन्दा राशि रूपये 5/– मात्र देना होगा।
(द) किसी अन्य राजनीतिक दल, साम्प्रदायिक या अन्य जिनका अलग संविधान, सदस्यता और कार्यक्रम हो, पार्टी के सदस्य नहीं होंगे।

ii. अपने स्थायी निवास अथवा व्यवसाय स्थल के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं से कोई व्यक्ति पार्टी के प्राथमिक सदस्यता के योग्य नहीं होंगे।

iii. कोई भी व्यक्ति एक से अधिक स्थान से सदस्य नहीं बन सकते।

iv. जिला या प्रदेश स्तर पर नियुक्त अधिकारी से लिखित प्रार्थनापत्र और उस पर स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति अपने सदस्यता स्थल में परिवर्तन नहीं कर सकता।

v. प्राथमिक या सक्रिय सदस्यता की अवधि निम्न उल्लेखित वर्ष के प्रथम जनवरी अथवा जिस तिथि को सदस्य के रूप में नामांकित किया गया उससे शुरू होकर आगामी तीसरे वर्ष के 31 दिसम्बर तक मानी जायेगी।

vi. प्रत्येक प्रखण्ड/निर्वाचन क्षेत्रीय या अन्य अधीनस्थ समितियाँ अपने–अपने क्षेत्र के प्राथमिक सदस्यों का स्थायी रजिस्टर बनायेगी और निर्धारित नियमानुसार उसकी एक प्रति जिला समिति को प्रेषित करेंगी।

vii. सदस्यता नवीनीकरण के प्रपत्र के साथ सदस्यता शुल्क जमा करते ही प्राथमिक सदस्यता का नवीनीकरण हुआ समझा जायेगा।

viii. प्राथमिक और सक्रिय सदस्यों द्वारा भुगतान किए हुए त्रैवार्षिक शुल्क का बँटवारा विभिन्न समितियों में इस प्रकार होगा :–

राष्ट्रीय समिति	–	10 प्रतिशत

प्रदेश समिति	–	25 प्रतिशत
जिला समिति	–	25 प्रतिशत
अन्य अधीनस्थ समितियाँ	–	40 प्रतिशत

प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता शुल्क के 40 प्रतिशत हिस्से को उप जिला अधीनस्थ समितियों में आनुपातिक बँटवारे का निर्णय सम्बन्धित प्रदेश समिति करेगी।

सक्रिय सदस्यता :

ix. निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तिगण जो प्राथमिक सदस्य हैं, 10 त्रैवार्षिक प्राथमिक सदस्य नामांकित कर लेने के बाद वे सक्रिय सदस्य बनने के योग्य होंगे :–

(अ) पंचायत, प्रखण्ड, विकास समितियाँ, जिला परिषद, अधिसूचित क्षेत्रीय समितियाँ, नगर क्षेत्र समितियाँ, नगर निगम, अन्य स्थानीय निकायों, महानगर परिषदों, राज्य विधानमण्डलों और संसद के सदस्यगण।

(ब) कार्यकारिणी समिति द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए मान्यता प्राप्त संगठन से जो लोग सक्रिय रुप से जुड़े हुए हों।

(स) स्वतन्त्रता सेनानीगण जिन्होंने जेल यात्रा की हों अथवा बहिष्कृत किए गए हों या भूतिगत रहे हों अथवा स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण दण्डित हुए हों।

(द) कोई भी व्यक्ति जो लगातार दो अवधि तक प्राथमिक सदस्य बने रहे हों।

(य) पार्टी अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कोई भी व्यक्ति।

(र) प्रत्येक सक्रिय सदस्य को सक्रिय सदस्यता शुल्क के रुप में 5/– रूपए तथा उसके द्वारा नामांकित किए गए 10 प्राथमिक सदस्यों की सदस्यता राशि के रुप में प्राप्त किए गए 50/– रुपए सक्रिय सदस्यता के आवेदन–पत्र के साथ जमा करना होगा।

x. प्रत्येक सक्रिय सदस्य को प्रपत्र–'ख' में अपने हस्ताक्षर के साथ घोषणा करना होगा तथा उसमें उल्लेखित शर्तों को पूरा करना होगा।

xi. प्रत्येक सक्रिय सदस्य को कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

xii. उपरोक्त लिखित नयूनतम प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना कोई भी सक्रिय सदस्य किसी भी पार्टी पद या संसद, राज्य विधानसभा, महानगर परिषद अथवा स्थानीय निकायों का चुनाव पार्टी टिकट पर लड़ने योग्य नहीं होगा।

xiii. संसद, राज्य विधानसभाओं एवं स्थानीय निकायों के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के रुप में ऐसे किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं होगा जो पार्टी का सक्रिय सदस्य न हो।

xiv. सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र–'ग' के भर कर देने तथा उसके प्रमाणीकृत के उपरांत सक्रिय सदस्यों का नवीनीकरण हो सकेगा।

xv. (अ) जिला/शहर समितियों को सक्रिय सदस्यों का स्थायी रजिस्टर बनाना होगा। जिला/शहर समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित स्थायी रजिस्टर की

एक प्रति प्रदेश समिति को उपलब्ध करानी होगी। जिला/शहर समिति सदस्यों को फोटो पहचान–पत्र जारी करेगी जिस पर सम्बन्धित जिला/शहर समिति और सम्बन्धित प्रदेश समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे।

(ब) प्रदेश समिति को अपने अधिकारक्षेत्र में सक्रिय सदस्यों के स्थायी रजिस्टर की प्रमाणित प्रति कार्यकारिणी समिति के कार्यालय में प्रेषित करनी होगी और समय–समय पर हुए परिवर्तनों की सूचना भी निरन्तर देनी होगी।

(स) रजिस्टर में सभी सदस्यों का पूरा नाम, पता, उम्र, व्यवसाय, निवास स्थान और नामांकन तिथि का व्यौरा होगा।

(द) मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अंशदान के न भुगतान करने पर और सदस्यता नवीनीकरण न करवाने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

xvi. कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार प्रत्येक सक्रिय सदस्य को अपने अर्जित आय का निश्चित अंश पार्टी कोष में प्रदान करना होगा।

अनुच्छेद 7 : पार्टी समितियों का कार्यकाल :–

i. पार्टी की प्रत्येक समिति और उसके पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल साधारणतया तीन वर्ष का होगा।

ii. जिला समितियों और प्रदेश समितियों की बैठकें नियमावली में निर्धारित समय सीमा के अनुसार साधारणतया हुआ करेंगी।

अनुच्छेद 8 : महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण :–

i. पार्टी की विभिन्न समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे।

ii. पार्टी की विभिन्न समितियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को 20 प्रतिशत से कम पद सुरक्षित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 9 : अधीनस्थ समितियों की संरचना एवं अधिकारक्षेत्र :–

जिला समितियों की अधीनस्थ समितियाँ जैसे प्रखण्ड/निर्वाचन क्षेत्र, पंचायत/नगर क्षेत्र या शहर मंडल समिति/प्राथमिक समिति की संरचना एवं अधिकारक्षेत्र का निर्णय पार्टी के नियमानुसार प्रदेश समति करेगी।

अनुच्छेद 10 : जिला समितियाँ :–

एक जिला समिति का क्षेत्र प्रदेश समिति के संविधान के अनुसार निर्धारित होगा और वह निम्न प्रकार से होगा :–

i. कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार प्रत्येक प्रखण्ड/निर्वाचन क्षेत्र समिति द्वारा गुप्त मतदान द्वारा चुने हुए 6 सदस्यगण।

ii. जिला समिति के सभी पूर्व अध्यक्षगण जिन्होंने 365 दिन का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो और सक्रिय सदस्य बने रहे हों।

iii. प्रदेश समिति के सदस्यगण जिनका वहाँ निवास हो अथवा जिले से निर्वाचित हुए हों।

iv. निर्वाचन क्षेत्र/प्रखण्ड समितियों के अध्यक्षगण यदि वे जिला समिति के अध्यक्ष या सचिव बनने के योग्य नहीं हों।

v. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के केन्द्र एवं राज्य, दोनों विधायिकाओं के सदस्यगण जो उस जिले के हों यदि वे सक्रिय सदस्य हैं।

vi. जिला के नगरनिगमों, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों या जनपद के पार्टी के नेतागण यदि वे पार्टी के सक्रिय सदस्य हों।

vii. कार्यकारिणी समिति के नियमानुसार जिला समिति द्वारा सहवरण किए गए सदस्यगण।

viii. जिला समिति अपने सदस्यों में से एक कार्यकारिणी समिति निर्वाचित करेगी जिसमें अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों सहित कुल 15 सदस्यगण होंगे।

अनुच्छेद 11 : राकाँपा की क्षेत्रीय समितियाँ :–

कार्यकारिणी समिति द्वारा सीमांकित क्षेत्र ही राकाँपा की क्षेत्रीय समितियों के अधिकारक्षेत्र होंगे जो निम्न प्रकार से होंगे :–

1. क्षेत्र की प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र समितियों में से प्रदेश समिति के लिए चुने गए प्रतिनिधिगण।

2. क्षेत्र के सभी पूर्व अध्यक्षगण जिन्होंने 365 दिन का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो और पार्टी के सक्रिय सदस्य बने रहे हों।

3. कार्यकारिणी समिति के सदस्यगण जिनका निवास क्षेत्र में हो।

4. क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र/प्रखण्ड समितियों के अध्यक्षगण।

5. क्षेत्र से राकाँपा के संसद एवं विधानमण्डल दोनों विधायिकाओं के सदस्यगण।

6. नगर निगमों, नगर पलिकाओं एवं जिला परिषदों में पार्टी के नेतागण।

7. वे सदस्यगण जिनको उन विशेष तत्वों जिनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो या अन्य जो पार्टी की नियमावली के अन्तर्गत पार्टी की समिति में न आ सके हों, का क्षेत्र की कार्यकारिणी समिति द्वारा सहवरण किया गया हो।

सहवरण सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों को मताधिकार का अधिकार होगा। परन्तु, केवल वे ही प्रतिनिधिगण जो निर्वाचन क्षेत्र/प्रखण्ड समितियों से निर्वाचित हुए हों, अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी चुने जाने योग्य होंगे।

क्षेत्रीय समिति अपने सदस्यों में से एक कार्य समिति का चुनाव करेगी जिसमें अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों समेत कुल 21 सदस्यगण होंगे।

अनुच्छेद 12 : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी की प्रदेश समिति :–

प्रदेश समिति निम्न प्रकार से होगी :–

1. निर्वाचन क्षेत्र/प्रखण्ड समितियों से निर्वाचित प्रतिनिधिगण जिनकी संख्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या के अनुसार होगी और जिसका निर्धारण इस प्रकार होगा।

वे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ मतदाताओं की संख्या 50,000 या उससे कम है एक प्रतिनिधि निर्वाचित होगा और जहाँ मतदाताओं की संख्या 50,000 से अधिक तथा 1,00,000 तक होगी दो प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे और जहाँ मतदाताओं की संख्या 1,00,000 से अधिक होगी वहाँ से तीन प्रतिनिधिगण निर्वाचित होंगे।

वे निर्वाचन क्षेत्र जो तीन श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं, का निर्णय प्रदेश समिति प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या के आधार पर करेगी।

साधारणतया एक सक्रिय सदस्य जिसका निवास या व्यापार, व्यवसाय या पेशा प्रदेश समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर हो, उस प्रदेश समिति के क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र/प्रखण्ड समिति से प्रतिनिधि निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार बनने के योग्य हो सकते हैं यदि वह;

(क) कार्यकारिणी समिति द्वारा बनाये गये नियमानुसार चुनावों की शर्तें एवं प्रक्रिया सम्पन्न हुआ करेगी।

(ख) निम्नलिखित प्रदेशों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में प्रदेश समिति/केन्द्र शासित क्षेत्र समिति में निर्वाचित सदस्यों की संख्या उस प्रदेश/क्षेत्रीय विधायिका के सदस्यों की संख्या के बराबर होगी :–

(1)	अरूणाचल प्रदेश	(2)	गोवा	(3)	मणिपुर
(4)	मेघालय	(5)	मिज़ोरम	(6)	नागालैण्ड
(7)	पाण्डिचेरी	(8)	सिक्किम	(9)	त्रिपुरा

(ग) केन्द्र शासित क्षेत्रों अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और चण्डीगढ़ में से प्रत्येक क्षेत्र से 25 सदस्यगण होंगे।

ii. प्रदेश समिति के सभी पूर्व अध्यक्षगण जिन्होंने 365 दिन का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो और पार्टी के सक्रिय सदस्य बने रहे हों।

iii. जिला समितियों के अध्यक्षगण यदि वे प्रदेश समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव बनने के योग्य नहीं हों।

iv. कार्यकारिणी समिति के सदस्यगण जिनका निवास प्रदेश में हो।

v. प्रदेश समिति/केन्द्र शासित क्षेत्र समिति की सदस्य संख्या का 5 प्रतिशत तक राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के विधायक दल द्वारा निर्वाचित सदस्यगण परन्तु इनकी संख्या 15 से अधिक नहीं होगी।

vi. वे सदस्यगण जिनका उन विशेष तत्वों जिनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो और अन्य जो कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित नियमावली के अन्तर्गत न आ सके हों, का प्रदेश समिति द्वारा सहवरण किया गया हो।

vii. प्रदेश समिति अपने सदस्यों में से एक कार्यकारिणी समिति का चुनाव करेगी जिसकी सदस्य संख्या कुल सदस्यों की संख्या का 10 प्रतिशत होगी, परन्तु अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों को मिलाकर कम से कम 21 सदस्यगण होंगे।

2. प्रदेश समिति के प्रत्येक सदस्य को 50/– रूपये वार्षिक शुल्क अदा करना होगा जिसमें से 25/– रूपये कार्यकारिणी समिति को प्रतिनिधि शुल्क के रूप में भेजना होगा और प्रत्येक सदस्य को अपने चुने जाने के तीन माह के भीतर 100/– रूपये त्रैवार्षिक एकत्रित करके पार्टी कोष में समुचित रसीद लेकर जमा करना होगा।

3. सदस्य बनने और पार्टी कोष एकत्रित करने का हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणपत्र प्रदेश समिति के एक सचिव से प्राप्त करना होगा। जो सदस्य निर्धारित समय के भीतर वार्षिक शुल्क अदा नहीं करेंगे अथवा पार्टी कोष एकत्रित नहीं करेंगे, वे सदस्य के रूप में कार्य करने एवं अधिकार के साथ किसी भी प्रदेश समिति की बैठक में भाग नहीं ले सकते, जब तक कि वे अपने बकाया का भुगतान नहीं कर देते। प्रदेश समिति को इस आशय की एक प्रमाणित प्रति निर्धारित समय के अन्दर कार्यकारिणी समिति को प्रेषित करनी होगी।

नोट : पार्टी की अधीनस्थ समितियों में पार्टी कोष का वितरण किस अनुपात में होगा इसका निर्णय प्रदेश समिति करेगी।

4. प्रत्येक प्रदेश समिति विशिष्ट समितियों की गतिविधियों में अपना पूर्ण सहयोग देगी और :

i. साधारणतया जिला समितियों के माध्यम से कार्य करेगी।

ii. कार्यकारिणी समिति की सरसरी देखरेख एवम् नियंत्रण में वे अपने क्षेत्र की पार्टी समितियों के मामलों की जिम्मेदार होगी और पार्टी संविधान के अन्तर्गत उनके जिम्मेदारियों का एक स्वरूप तैयार करेगी जो कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृतयुक्त होगा।

iii. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी संगठन द्वारा प्रदेश में किए गए रचनात्मक कार्यों का वार्षिक व्यौरा अभिलिखित स्थिति विवरण के साथ कार्यकारिणी समिति को प्रेषित करेगी।

iv. उपरोक्त अनुच्छेद 6 (viii) एवं धारा 2 के अनुसार निर्धारित समय में सदस्यता शुल्क के उनके हिस्से का भुगतान कार्यकारिणी समिति को करना होगा।

5. कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जो प्रदेश अपने प्रदेश समिति का गठन करने में असफल रही हो, वे कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, परन्तु कार्यकारिणी समिति यदि सन्तुष्ट होती है कि राष्ट्रीय अधिवेशन के पूर्व नए प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो पायेगा तो वे वर्तमान प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय अधिवेशन में विशेष अवस्था में भाग लेने की अनुमति दे सकती है।

ऐसी स्थिति में सम्बन्धित प्रदेश/क्षेत्रीय/केन्द्र शासित क्षेत्र समिति के आग्रह पर कार्यकारिणी समिति चुनाव कार्य पूरा करने की अवधि बढ़ा सकती है।

6. संविधान के विधिसंगत अथवा निर्देशों के अनुकूल कार्य करने में असफल रहने पर कार्यकारिणी समिति किसी भी प्रदेश समिति को निलम्बित कर सकती है और उस प्रदेश में पार्टी के कार्यों को करने के लिए एक एतदर्थ समिति स्थापित कर सकती है।

7. अपने तथा अन्य समितियों जैसे जिला समितियों, प्रखण्ड समितियों और अन्य अधीनस्थ समितियों के अचल सम्पत्तियों को सम्भालने हेतु कार्यकारिणी समिति के निर्देश/दिशानुरूप प्रत्येक प्रदेश/केन्द्र शासित क्षेत्र समिति एक न्यास (ट्रस्ट) की स्थापना करेगी। न्यास परिषद में अध्यक्ष एवं पदेन न्यासीगण मिलाकर न्यासियों की संख्या कम से कम 3 और अधिक से अधिक 9 होगी। प्रदेश समिति/केन्द्र शासित क्षेत्र समिति न्यास परिषद नियुक्त करेगी और उसमें उन व्यक्तियों को लिया जायेगा जिनका अनुमोदन कार्यकारिणी समिति करेगी। प्रदेश समिति/केन्द्र शासित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष न्यास के पदेन अध्यक्ष होंगे। कार्यकारिणी समिति के कोषाध्यक्ष और सम्बन्धित प्रदेश समिति/केन्द्र शासित क्षेत्र समिति

के प्रभारी महासचिव परिषद के पदेन सदस्य होंगे। अध्यक्ष और दो पदेन न्यासीगण को छोड़कर न्यासी परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। सभी सम्पत्तियाँ उक्त न्यास के नाम से होंगी और यदि कुछ परिस्थिति में ऐसा न हो सके तो वहाँ कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार होगी।

अनुच्छेद 13 : राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रतिनिधिगण :–

प्रदेश समितियों के सभी सदस्यगण राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रतिनिधि होंगे।

अनुच्छेद 14 : राष्ट्रवादी काँगेस पार्टी–राष्ट्रीय समिति (एन.सी.पी.–एन.सी.) :–

1. राष्ट्रीय समिति निम्न प्रकार होगी :–

(i) एकल परिवर्तनीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व देते हुए प्रदेश समिति द्वारा अपने सदस्यों में से 10वें भाग के निर्वाचित सदस्यगण जिनकी संख्या पाँच से कम ही होगी, किन्तु चण्डीगढ़, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप केन्द्र शासित क्षेत्रों से चार–चार सदस्यगण निर्वाचित किए जायेंगे।

(ii) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के अध्यक्ष।

(iii) पार्टी के पूर्व अध्यक्षगण जिन्होंने 365 दिन का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो और पार्टी के सक्रिय सदस्य बने रहे हों।

(iv) प्रदेश समितियों के अध्यक्षगण परन्तु वे राष्ट्रीय समिति के पदाधिकारी बनने के योग्य नहीं होंगे।

(v) संसद में राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के नेता।

(vi) राज्य विधायिकाओं, केन्द्र शासित क्षेत्रों की परिषदों और महानगर परिषदों में राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के नेतागण।

(vii) एकल परिवर्तनीय मत प्रणाली अनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी द्वारा संसद में निर्वाचित 15 सदस्यगण।

(viii) पार्टी की नियमावली के अन्तर्गत उन विशेष तत्वों और अन्य जिनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो, कार्यकारिणी समिति द्वारा सहवरण किए गए सदस्यगण।

2. (i) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष होंगे।

(ii) पार्टी द्वारा घोषित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की व्यवस्था राष्ट्रीय समिति करेगी और अपने कार्यकाल में उत्पन्न सभी विषयों एवम् परिस्थितियों के सुचारू रूप से निष्पादन का अधिकार होगा।

(iii) पार्टी सम्बन्धित सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय समिति के पास संविधान के समानान्तर नियमों को बनाने का अधिकार होगा जिसे सभी अधीनस्थ पार्टी समितियाँ मानने को बाध्य होंगी।

(iv) कार्यकारिणी समिति की आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय समिति जितनी बार चाहे बैठक बुला सकती है, परन्तु वर्ष में कम से कम दो बार बैठक अवश्य होगी अथवा राष्ट्रीय समिति की कुल सदस्य संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक सदस्यगण जिन्हें पूरा

मतदान का अधिकार प्राप्त हो, कार्यकारिणी समिति को सम्बोधित उनके संयुक्त आवेदन पर बैठक बुलाई जा सकती है। ऐसे आवेदन में राष्ट्रीय समिति की बैठक किस हेतु बुलाना चाहते हैं, उसका स्पष्ट विवरण होना चाहिए। आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर बैठक बुलानी होगी, परन्तु वर्ष में एक बार से अधिक इस आशय के आवेदन नहीं आने चाहिएँ। किसी भी ऐसी बैठक में कार्यकारिणी समिति द्वारा अतिरिक्त विषय विचारार्थ उठाए जा सकते हैं।

(v) आवेदित बैठकों को छोड़कर राष्ट्रीय समिति की सभी बैठकों में इस विषय में बने नियमानुसार सदस्यों द्वारा पूर्व प्रेषित सूचना में उल्लेखित विषयों के विचारार्थ कम से कम दो घण्टे का समय दिया जाना चाहिए।

(vi) एक सौ अथवा कुल सदस्य संख्या का पाँचवाँ भाग जो भी कम हो उतने सदस्यों की उपस्थिति से राष्ट्रीय समिति की बैठक की गणपूर्ति मानी जायेगी।

(vii) प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रीय समिति के सदस्य चुने जाने के तीन माह के भीतर 100/– रूपये वार्षिक शुल्क और 200/– रूपए पार्टी कोष के लिए एकत्रित कर राष्ट्रीय समिति में जमा कर देना होगा और इसकी रसीद प्राप्त कर लेनी होगी। राष्ट्रीय समिति के एक सचिव के हस्ताक्षरयुक्त सदस्यता का प्रमाणपत्र उनको दिया जायेगा। सदस्यता शुल्क एवं पार्टी कोष हेतु एकत्रित धन न जमा करने पर कोई भी सदस्य राष्ट्रीय समिति की बैठक, विषय समिति या राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के अधिकार से वंचित हो जायेगा जब तक कि वह अपने बकाये का भुगतान नहीं कर देता है।

नोट : राष्ट्रीय समिति के सदस्य को प्रदेश समिति के लिए भी पार्टी कोष एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है।

अनुच्छेद 15 : सहवरण सदस्यगण :–

कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी समिति एवं कार्य समिति तथा निम्नतर स्तरों पर सम्बन्धित कार्य समितियाँ, क्रमशः राष्ट्रीय समिति, प्रदेश समिति एवं अन्य निम्नतर समितियों की कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत तक सदस्य सहवरण कर सकते हैं। सहवरण सदस्य राष्ट्रीय समिति, प्रदेश समिति और निम्नतर स्तरों पर किसी संगठनात्मक चुनाव में न तो मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और न ही संगठन के चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो सहवरित सदस्य हैं, इस कारण किसी भी समिति की पूर्ण सदस्यता हेतु साधारण ढंग से चुनाव लड़ने का इच्छुक हो तो उसे रोका नहीं जा सकता है।

अनुच्छेद 16 : पदेन सदस्यगण :–

पंचायत/नगरपालिका, विधानसभाओं, विधान परिषदों, लोकसभा/राज्यसभा के सम्बन्धित राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के सभी सदस्यगण समवर्ती स्तरों पर पार्टी समितियों के पदेन सदस्यगण होंगे।

(अ) पार्टी की किसी उच्चतर समिति का कोई सदस्य जो उस समिति की अधीनस्थ समिति के अधिकारक्षेत्र के भीतर रहता हो अथवा किसी भी समिति से किसी अन्य उच्चतर समिति में निर्वाचित हुआ हो, वह उस निम्नतर समिति का सदस्य होगा और उसे पूरा अधिकार एवं विशेषाधिकार प्राप्त होगा जैसा कि सम्बन्धित समिति के अन्य सदस्यों को प्राप्त है।

अनुच्छेद 17 : विषय समितियाँ :–

(i) राष्ट्रीय अधिवेशन के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति की विषय समिति के रुप में बैठक होगी। राष्ट्रीय अधिवेशन के पूर्व नए अध्यक्ष का चुनाव यदि हो चुका हो और उनके द्वारा नियुक्त कार्यकारिणी समिति ने कार्यभार नहीं सम्भाला हो तो अध्यक्ष द्वारा नियुक्त कर्णधार समिति विषय समिति के कार्यक्रम विवरण के साथ प्रस्तावना प्रारूप राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्तुत करेगी। प्रस्तावना प्रारूप की प्रतियाँ विषय समिति/राष्ट्रीय समिति के सदस्यों को बैठक से कम से कम दो सप्ताह पूर्व उपलब्ध करानी होगी। प्रदेश समिति के संस्तुतीपूर्ण प्रस्तावनाओं और राष्ट्रीय समिति के सदस्यों द्वारा सूचित प्रस्तावनाओं पर कार्यकारिणी समिति या कर्णधार समिति द्वारा प्रस्तावना लिखते समय ध्यान रखना होगा।

(ii) विषय समिति कार्यक्रमों पर विचार–विमर्श करेगी और खुले सत्र में लाये जाने वाले प्रस्तावों को आकार प्रदान करेगी। राष्ट्रीय समिति के सदस्यगण अथवा प्रदेश समिति द्वारा उठाये गए मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए कम से कम चार घण्टे का समय निश्चित करना चाहिए।

अनुच्छेद 18 : राष्ट्रीय अधिवेशन :–

(i) कार्यकारिणी समिति अथवा केन्द्रीय समिति, जैसी स्थिति हो, द्वारा निर्णित स्थान और समय पर पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन साधारणतया तीन वर्ष में एक बार आयोजित किया जायेगा।

(ii) राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष और सभी अन्य प्रतिनिधिगण सम्मिलित होंगे।

(iii) (अ) राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वप्रथम विषय समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों पर उसके अनुपालन हेतु विचार होगा।

(ब) तदोपरान्त अन्य कोई भी मौलिक प्रस्ताव जो उपरोक्त (अ) में सम्मिलित न हो परन्तु सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व 100 प्रतिनिधियों द्वारा लिखित रूप से अध्यक्ष से अधिवेशन के पटल पर प्रस्ताव रखने के आग्रह पर विचार–विमर्श किया जायेगा किन्तु ऐसे प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं होगा जिस पर विषय समिति पहले विचार–विमर्श न कर चुकी हो और विषय समिति की बैठक में उस समय उपस्थित एक तिहाई सदस्यों का समर्थन नहीं मिला हो।

(iv) प्रदेश समिति जिनके अधिकारक्षेत्र में अधिवेशन हो रहा हो वे अधिवेशन आयोजित करने के लिए जो भी उचित समझें सभी आवश्यक व्यवस्था करेंगे और इस हेतु एक स्वागत समिति गठित करेंगे जिनका वे सामान्य मार्गदर्शन करेंगे तथा इसमें वे व्यक्ति भी सम्मिलित किए जा सकते हैं जो इसके सदस्य न हों।

(v) स्वागत समिति अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करेगी।

(vi) स्वागत समिति अधिवेशन के खर्च हेतु कोष एकत्रित करेगी और प्रतिनिधियों के स्वागत एवं ठहरने की सभी आवश्यक व्यवस्था करेगी। आगन्तुकों के लिए भी यह आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

(vii) राष्ट्रीय अधिवेशन की समाप्ति के छः माह के भीतर स्वागत समिति सभी प्राप्ति एवं व्यय का लेखा–जोखा, प्रदेश समिति द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा अभिलिखित लेखा एवं लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ कार्यकारिणी समिति को प्रेषित करेगी। स्वागत समिति के पास यदि कोष बचा हुआ है तो उसे राष्ट्रीय समिति और प्रदेश समिति के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

अनुच्छेद 19 : विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन :–

(i) राष्ट्रीय समिति यदि निर्णय लेती है अथवा प्रदेश समिति बहुमत से ऐसी बैठक बुलाने के लिए अध्यक्ष को प्रस्ताव द्वारा आग्रह करती है तो पार्टी का विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जा सकता है।

(ii) ऐसा अधिवेशन बुलाने के लिए जिस प्रदेश समिति को चयन किया जाता है, वही इसकी व्यवस्था करेगी।

अनुच्छेद 20 : अध्यक्ष का चुनाव :–

(i) अध्यक्ष के चुनाव हेतु केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष ही इसके पदेन निर्वाचन अधिकारी होंगे।

(ii) कोई 10 प्रतिनिधिगण संयुक्त रूप से राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए किसी प्रतिनिधि के नाम का प्रस्ताव कर सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी के पास ऐसा प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित तिथि को या उससे पहले अवश्य पहुँच जाना चाहिए।

(iii) निर्वाचन अधिकारी प्रस्तावित सभी नामों को प्रकाशित करेंगे और जिनके नाम प्रस्तावित हुए हैं, वे प्रकाशन के सात दिन के भीतर अपना नाम वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं और इसके लिए उन्हें निर्वाचन अधिकारी को लिखित रुप से देना होगा।

(iv) जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है उनके नाम को हटाकर शेष बचे नामों का प्रकाशन निर्वाचन अधिकारी तत्काल करेंगे तथा प्रदेश समितियों में वितरित कर देंगे। नामों को हटाने के बाद यदि एक ही नाम बचा रहता है तो वह उम्मीदवार पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।

(v) कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित तिथि जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों के अन्तिम प्रकाशन तिथि के साधारणतया सात दिन के बाद की होगी, अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रत्येक प्रतिनिधि अपना मतदान करने के हक़दार होंगे जो इस प्रकार होगा :–

> मतपत्र जिन पर उम्मीदवारों के नाम उद्धृत होंगे, यदि दो उम्मीदवार हों तो प्रतिनिधि उसमें से एक नाम के आगे मत अंकित करेंगे। यदि दो उम्मीदवारों से अधिक हों तो प्रतिनिधि अपनी पसन्द के दो नामों के आगे प्राथमिकता के आधार पर संख्या 1,2 आदि अंकित करेंगे। ऐसी दशा में दो से अधिक प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन दो से कम प्राथमिकता दर्शाने वाले मतपत्र अवैध घोषित होंगे। इस हेतु उपलब्ध मतपेटी में मतपत्र डाले जायेंगे।

(vi) प्रदेश समितियाँ मतपेटियों को राष्ट्रीय समिति को अविलम्ब भेज देंगी।

(vii) मतपेटियों के प्राप्त होने के तत्काल बाद निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवारों के लिए अंकित प्रथम प्राथमिकता वाले मतपत्रों की गणना करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार अंकित प्रथम प्राथमिकता वाले 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करता है तो वह अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई भी उम्मीदवार 50 प्रतिशत से अधिक प्रथम प्राथमिकता वाले मत प्राप्त नहीं करता है तो न्यूनतम प्रथम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का नाम हटा दिया जायेगा और द्वितीय प्राथमिकता अंकित मतपत्र जिन्हें मतदाता प्रथम प्राथमिकता दिए होंगे, उन मतपत्रों की गणना शेष उम्मीदवारों में से की जाएगी। इस गणना में भी न्यूनतम मत पाने वाले उम्मीदवार का नाम हटा दिया जायेगा। न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम हटाने की प्रक्रिया अपनाते हुए प्राथमिकता के आधार पर मतों को हस्तांतरित करते हुए बाद की गणना में जो उम्मीदवार 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करेगा वह अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

(viii) उपरोक्त प्रक्रिया से निर्वाचित हुए अध्यक्ष की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से उत्पन्न आकस्मिक स्थिति में वरिष्ठतम महासचिव अध्यक्ष के सामान्य कार्यों का निस्पादन करेंगे जब तक कि कार्यकारिणी समिति सामयिक अध्यक्ष नियुक्त नहीं करती तथा राष्ट्रीय समिति एक नियमित अध्यक्ष का चुनाव सम्पन्न नहीं करा लेती।

(ix) निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे और अपने कार्यकाल के दौरान जब कार्यकारिणी समिति का सत्र नहीं चल रहा हो, उनके सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

अनुच्छेद 21 : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कार्यकारिणी समिति (एन.सी.पी–डब्ल्यू.सी.):–

(i) कार्यकारिणी समिति में पार्टी के अध्यक्ष, संसद में पार्टी के नेता और 23 अन्य सदस्यगण जिसमें से कार्यकारिणी समिति के नियमानुसार राष्ट्रीय समिति से निर्वाचित 12 सदस्यगण एवं शेष अध्यक्ष द्वारा नियुक्त सदस्य होंगे। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से अध्यक्ष एक कोषाध्यक्ष और एक या अधिक महासचिव नियुक्त करेंगे। राष्ट्रीय समिति के चुने हुए सदस्यों में से एक या अधिक सचिव/संयुक्त सचिव नियुक्त करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा। सचिवगण/संयुक्त सचिवगण अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह करेंगे। साधारणतया कार्यकारिणी समिति के सदस्यगण राष्ट्रीय समिति के सदस्यों में से नियुक्त किए जायेंगे, परन्तु विशेष परिस्थिति में वैसे प्रतिनिधिगण जो राष्ट्रीय समिति के सदस्य नहीं हैं, की भी नियुक्ति हो सकती है, लेकिन ऐसे प्रतिनिधि यदि अपनी नियुक्ति के 6 माह के भीतर राष्ट्रीय समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं हो जाते हैं तो वे कार्यकारिणी समिति के सदस्य नहीं रह पायेंगे।

(ii) कार्यकारिणी समिति की एक बैठक की गणपूर्ति 8 होगी।

(iii) कार्यकारिणी समिति पार्टी की सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकारी होगी और उसे राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्मित नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करने का अधिकार होगा तथा वह राष्ट्रीय समिति के प्रति उत्तरदायी होगी। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या एवं अनुपालन सम्बन्धी मामलों में यह अन्तिम प्राधिकारी होगी।

(iv) कार्यकारिणी समिति राष्ट्रीय समिति की प्रत्येक बैठक में इसके पूर्व के बैठक की कार्यवाही का प्रतिवेदन और बैठक में विचारार्थ विषयों की कार्यसूची प्रस्तुत करेगी तथा ग़ैर सरकारी प्रस्तावों जिसके लिए राष्ट्रीय समिति के सदस्यों द्वारा पार्टी के नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सूचना दिया गया हो, के लिए समय का निर्धारण करेगी।

(v) पार्टी की सभी समितियों एवं संगठनों के अभिलेख, काग़जात एवं लेखा पुस्तिकाओं की जाँच के लिए कार्यकारिणी समिति अधोलिखित धारा (7) को ध्यान में रखकर एक या अधिक लेखा परीक्षकों, निरीक्षकों या अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। लेखा परीक्षकों, निरीक्षकों अथवा अन्य अधिकारियों को सभी वांछित जानकारियाँ देने एवं सभी कार्यालयों के लेखा पुस्तिकाओं और अन्य अभिलेखों को प्राप्त कराने में ऐसी सभी समितियाँ एव संगठन बाध्य होंगी।

(vi) कार्यकारिणी समिति को निम्नलिखित अधिकार होंगे :–

(अ) संगठन के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु नियम बनाना। ऐसे सभी नियम राष्ट्रीय समिति के विचारार्थ शीघ्रातिशीघ्र रखना।

(ब) ऐसा निर्देश जारी करना जो संविधान से असंगत न हो एवं ऐसे सभी मामले जिनका प्रावधान न हो, के लिए नियम बनाना।

(स) प्रदेश समितियों/केन्द्र शासित क्षेत्र समितियों और अधीनस्थ समितियों के साथ ही साथ स्वागत समितियों की समीक्षा करना, निर्देश देना एवं उन पर नियंत्रण रखना।

(द) राष्ट्रीय समिति या व्यक्ति विशेष को छोड़कर किसी भी समिति के विरूद्ध जैसा उचित हो, अनुशासनिक कार्यवाही करना।

(य) अनुच्छेद 6(i), (ix) एवं (x) और अनुच्छेद 9(ii) एवं (iii) के अन्तर्गत प्रावधानों में विशेष परिस्थिति में छूट देना।

(vii) कार्यकारिणी समिति राष्ट्रीय समिति की लेखा पुस्तिकाओं का वार्षिक अभिलेख राष्ट्रीय समिति द्वारा नियुक्त किये गये एक लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों द्वारा प्रति वर्ष कराने की व्यवस्था करेगी।

(viii) राष्ट्रीय समिति, प्रदेश समितियों, जिला समितियों एवं अधीनस्थ समितियों के संरचना कार्य को पूरा करने की तिथि कार्यकारिणी समिति निर्धारित करेगी।

(ix) राष्ट्रीय समिति की अचल सम्पत्तियों को सम्भालने के लिए कार्यकारिणी समिति एक न्यास (ट्रस्ट) का गठन करेगी। उक्त न्यास के परिषद की न्यासियों की नियुक्तियाँ कार्यकारिणी समिति करेगी जिसमें अध्यक्ष एवं अन्य पदेन न्यासियों को मिलाकर पाँच से कम और नौ से अधिक न्यासीगण नहीं होंगे। पार्टी के अध्यक्ष न्यास के पदेन अध्यक्ष होंगे और राष्ट्रीय समिति के कोषाध्यक्ष एवं प्रशासनिक प्रभारी महासचिव इस परिषद के पदेन सदस्य हुआ करेंगे। अध्यक्ष और दो अन्य पदेन न्यासियों को छोड़कर परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। सम्पत्तियों को उक्त न्यास के नाम से रखा जाएगा और यदि किसी विशेष परिस्थिति/परिस्थितियों में ऐसा सम्भव न हो सका तो कार्यकारिणी समिति जैसा निर्देशित करे, वैसा होगा।

(x) किसी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए कार्यकारिणी समिति पार्टी के हित में जो भी उचित समझे, वैसा क़दम उठाने के लिए अधिकृत है, लेकिन यदि की गई कोई कार्यवाही संविधान में परिभाषित कार्यकारिणी समिति के अधिकार से बाहर हो जाती है तो इसे जितनी जल्दी सम्भव हो सके, लेकिन 6 माह से अधिक न हो, को राष्ट्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर इसका अनुसमर्थन करा लेना चाहिए।

अनुच्छेद 22 : कोषाध्यक्ष :–

कोषाध्यक्ष पार्टी की निधि के प्रभारी होंगे और सभी निवेशों, आय और व्यय का उचित लेखा–जोखा रखेंगे।

अनुच्छेद 23 : महासचिवगण :–

(i) अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में महासचिवगण राष्ट्रीय समिति के कार्यालय के प्रभारी होंगे।

(ii) राष्ट्रीय अधिवेशन के कार्यवाहियों के प्रतिवेदन अभिलिखित अभिलेखा के साथ, की तैयारी एवं प्रकाशन की जिम्मेदारी, जितनी जल्दी सम्भव हो, अधिवेशन की समाप्ति के बाद महासचिवों पर होगी।

(iii) महासचिवगण राष्ट्रीय समिति एवं कार्यकारिणी समिति के कार्यों का प्रतिवेदन, पूर्व प्रस्ततु से लेकर अब तक की अवधि की अभिलिखित अभिलेखा के विवरण के साथ तैयार करके पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से पूर्व राष्ट्रीय समिति की होने वाली प्रथम बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

अनुच्छेद 24 : सदस्यता की जाँच :–

केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण सदस्यता की जाँच प्रदेश चुनाव प्राधिकरण के माध्यम से कराने की व्यवस्था करेगी। सदस्यता जाँच सम्बन्धी वादों का निस्तारण प्रदेश चुनाव प्राधिकरण करेगी। प्रदेश चुनाव प्राधिकरण उचित स्तरों पर जाँच समिति नियुक्त करेगी।

अनुच्छेद 25 : चुनाव सम्बन्धी विवाद :–

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संगठनात्मक चुनाव सम्पन्न कराने हेतु प्रदेश चुनाव प्राधिकरण जैसा उचित समझे कदम उठायेगी। प्रदेश चुनाव प्राधिकरण किसी भी चुनावी विवादों पर अपना निर्णय लेगी। प्रदेश चुनाव प्राधिकरण के निर्णयों के विरूद्ध सभी वादों का निस्तारण केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण करेगी।

अनुच्छेद 26 : चुनाव तंत्र :–

(i) कार्यकारिणी समिति राष्ट्रीय समिति की एक केन्द्रीय संगठनात्मक चुनाव प्राधिकरण गठित करेगी जिसमें कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच सदस्य होंगे जिसमें से एक प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा।

संगठनात्मक चुनाव सम्पन्न कराने के अतिरिक्त, प्राधिकरण संगठनात्मक चुनाव हेतु सदस्यों के नामांकन आदि का भी निरीक्षण तथा देखरेख करेगी। प्राधिकरण सदस्यों के नामांकन से चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने की अवस्था तक चुनावों के पंचांग को अंतिम रूप देगी।

(ii) केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष पार्टी के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के चुनावों को सम्पन्न कराने हेतु पदेन निर्वाचन अधिकारी होंगे। पदेन निर्वाचन अधिकारी पार्टी के किसी भी पद के लिए जिसका वे चुनाव सम्पन्न करा रहे हों, चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होंगे। परन्तु पार्टी के किसी पद पर मनोनीत होने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता।

(iii) केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण प्रदेश स्तर पर एक प्रदेश चुनाव प्राधिकरण नियुक्त करेगी जिसमें कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच सदस्य होंगे जिसमें से एक प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा। चुनाव प्राधिकरण का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण प्रदेश अथवा केन्द्र शासित क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा।

(iv) संगठनात्मक चुनावों को सुचारू रुप से सम्पन्न कराने के लिए केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण आवश्यक नियम एवं विनियम बनाएगी।

(v) प्रदेश निर्वाचन अधिकारी प्रदेश में पार्टी चुनावों को सम्पन्न करेंगे। वे प्रदेश अथवा केन्द्र शासित क्षेत्र में चुनावों को सुचारू रुप से सम्पन्न कराने के लिए प्रदेश समितियों अथवा केन्द्र शासित क्षेत्र समितियों और जिला समितियों की कार्यकारिणी से सलाह मशवरा के उपरान्त जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और ऐसे अन्य पदाधिकारियों जिनकी आवश्यकता हो, को नियुक्त करेंगे। वे केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर आवंटित ऐसे अन्य कार्यों को भी पूरा करेंगे।

(vi) प्रदेश निर्वाचन अधिकारी अपने कार्यालय में साधारणतया एक कार्यकाल तक रहेंगे, लेकिन वे उस समय तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि एक नया प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता या उन्हें केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण द्वारा निर्मित नियमानुसार अपने कार्यालय/पद से हटा नहीं दिया जाता।

अनुच्छेद 27 : संसदीय परिषद/बोर्ड :–

कार्यकारिणी समिति एक संसदीय परिषद/बोर्ड का गठन करेगी जिसमें अध्यक्ष और नौ अन्य सदस्यगण होंगे जिनमें से एक संसद में राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी का नेता होगा जो संसदीय गतिविधियों का विनियमन और समन्वय रखेगा तथा उनकी ओर से नियम बनायेगा।

अनुच्छेद 28 : चुनाव समिति :–

(i) निम्नलिखित कार्य करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय चुनाव समिति गठित होगी जिसमें संसदीय परिषद के सदस्यगण एवं राष्ट्रीय समिति से निर्वाचित नौ अन्य सदस्यगण होंगे;
(अ) प्रदेश विधानमण्डलों एवं संसद के लिये उम्मीदवारों का अन्तिम चयन करना।
(ब) चुनाव अभियानों का संचालन।

(ii) प्रदेश चुनाव समिति में प्रदेश समिति/केन्द्र शासित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष रहेंगे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के विधानमण्डल दल के नेता अथवा यदि केन्द्र शासित क्षेत्र हो तो विधानसभा/महानगर परिषद में राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के नेता के अलावा प्रदेश समिति/केन्द्र शासित क्षेत्र समिति की सामान्य बैठक द्वारा चुने हुए अधिक से अधिक दस और कम से कम चार सदस्यगण होंगे। समिति के सदस्यगण यदि उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से चुने जाते हैं तो वे निर्वाचित घोषित कर दिए जायेंगे। ऐसे चुनावों में मतदान मतपत्र द्वारा होगा और समिति में चुने जाने वाले जितने सदस्य हों उतने नामों के आगे प्रत्येक मतपत्र पर चिन्ह लगाए जायेंगे। यदि चुने जाने वाले सदस्यों को दो तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो एकल स्थानान्तरित प्रणाली द्वारा पुनः मतदान होगा। प्रदेश अथवा केन्द्र शासित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष चुनाव समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(iii) उपरोक्त ढंग से गठित प्रदेश अथवा केन्द्र शासित क्षेत्र चुनाव समिति संसद एवं राज्य विधानसभाओं के लिए अपनी संस्तुती के साथ उम्मीदवारों के नाम केन्द्रीय चुनाव समिति को भेजेगी।

(iv) उम्मीदवारों के चयन तथा चुनाव सम्पन्न कराने सम्बन्धी अन्य मामलों में केन्द्रीय चुनाव समिति आवश्यक नियम बनायेगी तथा प्रदेश चुनाव समिति को तत्सम्बन्धी दिशानिर्देश करेगी।

अनुच्छेद 29 : रिक्तियाँ :–

(i) इस संविधान के अन्तर्गत गठित किसी भी समिति अथवा परिषद के प्रतिनिधि का कार्यकाल सदस्य के त्यागपत्र, निष्कासन या मृत्यु से वह स्थान रिक्त हो जायेगा।

(ii) सभी रिक्तियाँ उसी प्रकार से भरी जायेंगी जिस प्रकार से रिक्त सदस्य का चुनाव हुआ था और इस प्रकार से चुने गए सदस्य रिक्त स्थान की शेष अवधि तक कार्यरत रहेंगे।

(iii) किसी विपरीत प्रावधान के अभाव में समुचित ढंग से गठित समिति अथवा परिषद में किसी कारणवश कोई रिक्ति हो जाने पर यह अप्रभावी नहीं होगा।

अनुच्छेद 30 : प्रकोष्ठ एवं विभाग :–

(i) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कोई प्रकोष्ठ /विभाग बना सकते हैं जो उनके द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वाह करेगा।

(ii) ऐसे राष्ट्रीय प्रकोष्ठों/विभागों के अध्यक्ष प्रदेश समितियों के सलाह मशवरा से प्रदेश स्तर पर प्रकोष्ठों/विभागों के अध्यक्षों एवं सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं।

(iii) मज़दूर प्रकोष्ठ मज़दूरों के लिए एक केन्द्रीय मज़दूर संघ का गठन करेंगे ताकि मज़दूर आन्दोलन को सुढ़ृढ़ किया जा सके और साथ ही साथ पार्टी के जनाधार को विस्तृत किया जा सके। पार्टी संविधान के अनुच्छेद 2 में उल्लेखित लक्ष्य एवं सिद्धान्तों के अनुरुप वे अपने बनाये संविधान को अंगीकार कर सकते हैं।

(iv) किसान प्रकोष्ठ एक केन्द्रीय किसान संगठन का गठन करेंगे जो किसान आन्दोलन को सुढ़ृढ़ और साथ ही साथ पार्टी के जनाधार का विस्तार करेगा। पार्टी संविधान के अनुच्छेद

2 में उल्लेखित लक्ष्य एवं सिद्धान्तों के अनुरुप वे अपने बनाये संविधान को अंगीकार कर सकते हैं।

अनुच्छेद 31 : पार्टी की विशिष्ट समितियाँ निम्न प्रकार गठित होगी :–

(i) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (राकाँपा) समिति – युवाओं के लिए ।
(ii) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (राकाँपा) समिति – महिलाओं के लिए।
(iii) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (राकाँपा) समिति – विद्यार्थियों के लिए।
(iv) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (राकाँपा) समिति – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए।
(v) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (राकाँपा) समिति – अल्पसंख्यकों के लिए।
(vi) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (राकाँपा) समिति – विकलांगों के लिए।
(vii) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (राकाँपा) समिति – वरिष्ठ नागरिकों के लिए।
(viii) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (राकाँपा) समिति – खेल–कूद और संस्कृति के लिए।

ये समितियाँ अपना संविधान एवं नियमावली अंगीकार कर सकते हैं जो पार्टी संविधान की अनुच्छेद 2 (उद्देश्य अनुच्छेद) में दर्शाए सिद्धान्तों के अनुरुप हों।

अनुच्छेद 32 : अनुशासन :–

(1) पार्टी सदस्यों और पार्टी समितियों में अनुशासन बनाये रखने हेतु पार्टी की कार्यकारिणी समिति राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय अनुशासन समिति तथा प्रदेशों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में पार्टी की कार्य समितियों द्वारा क्रमशः प्रदेश और केन्द्र शासित क्षेत्र स्तर पर अनुशासन समिति नियुक्त करेगी।

(2) पार्टी विरोधी गतिविधियों में किसी व्यक्ति के लिप्त पाये जाने पर अनुशासनिक कार्यवाही से पदावनति या पार्टी समिति का भंग होना पार्टी समिति पर लगाया गया दण्ड समझा जायेगा।

अनुशासनिक समिति से सम्बन्धित नियमों की संरचना कार्यकारिणी समिति द्वारा की जाएगी।

(3) जो सदस्य निम्नलिखित गतिविधियों में लिप्त पाये जायेंगे उन्हें दोषवेचक, निन्दा, सदस्यता से कम से कम तीन वर्ष के लिए निलम्बन और निष्कासन दण्ड स्वरूप दिया जायेगा :–
(अ) पार्टी के संविधान या नियमों का उल्लंघन।
(ब) पार्टी सदस्यता के सम्मान को ठेस पहुँचाना।
(स) पार्टी के राजनीतिक आचारनीति मार्गदर्शन की अवमानना करना।
(द) पार्टी के अहित में अन्य कोई कार्य करना।

केन्द्रीय अनुशासन समिति के निर्णय पर निष्कासित किसी सदस्य को राष्ट्रीय समिति में पुनर्न्यायार्थना (अपील) करने का अधिकार होगा। प्रदेश स्तरीय अनुशासनिक समिति द्वारा दण्डित सदस्य को केन्द्रीय अनुशासन समिति के समक्ष पुनर्न्यायार्थना (अपील) करने का अधिकार होगा।

कार्यकारिणी समिति द्वारा स्थापित किए हुए नियम रीतियों में अनुशासनिक कार्यवाहियों का विवरण लिखा जायेगा।

अनुच्छेद 33 : नीतिशोध :–

पार्टी नीतियों के अध्ययन, शोध ओर योजना हेतु नीति शोध परिषद की स्थापना की जायेगी।

जनहित नीति, सरकारी लक्ष्यों और विधायिकाओं के प्रस्तावों सम्बन्धी मामले नीति शोध परिषद में विचार विमर्श के उपरान्त विधिवत् रुप से पार्टी नीति के अनुरुप बनायी जाएगी।

नीति शोध परिषद के संविधान और कार्यप्रणाली का विवरण कार्यकारिणी समिति द्वारा इस कार्य के लिए बनायी गयी नियमों के अनुरुप होगा।

अनुच्छेद 34 : आचारनीति समिति :–

पार्टी सदस्यों द्वारा सामाजिक जीवन की गरिमा बनाये रखने तथा पार्टी चेतना के उत्थान के लिए एक आचारनीति समिति स्थापित की जायेगी। कार्यकारिणी समिति द्वारा स्थापित किये हुए नियम में आचारनीति समिति की संरचना एवं कार्यप्रणाली का विवरण लिखा होगा।

अनुच्छेद 35 : पार्टी पत्रिका :–

वर्ष में कम से कम चार बार नियमित अन्तराल पर पार्टी की एक पत्रिका प्रकाशित होगी जो आपस में संचारवाहिनी, टीका–टिप्पणी एवं वाद–विवाद के माध्यम के रुप में सभी सदस्यों को वितरित की जाएगी। पत्रिका के प्रकाशन की जिम्मेदारी सम्पादक की होगी जिनकी नियुक्ति कार्यकारिणी समिति करेगी और वह उसी के प्रति उत्तरदायी भी होंगे।

अनुच्छेद 36 : वित्त एवं अभिलेख :–

(i) पार्टी की एक कोष की स्थापना होगी जिसमें सदस्यता शुल्क, अंशदान, लाभ, योगदान, पत्रिकाओं तथा अन्य प्रकाशनों की विक्रय राशि और प्रादेशिक छूट यदि कोई हो तो सब जमा किया जायेगा। पार्टी के सभी खर्चे इस कोष से किये जायेंगे।

(ii) पार्टी कोष किसी एक राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाएगा। बैंक में खाता पार्टी के नाम से खुलेगा जिसे पार्टी अध्यक्ष द्वारा अधिकृत तीन पदाधिकारियों – अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और किसी एक महासचिव में से किसी दो के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा। उपरोक्त लिखित तीनों अधिकृत व्यक्तियों को पार्टी की ओर से पार्टी कार्यों के लिए वांछित कर्ज़ हेतु बैंक में आवेदन देने और उनका उपयोग करने का अधिकार होगा।

(iii) पार्टी का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

(iv) राष्ट्रीय समिति और प्रदेश समितियों में एक या एक से अधिक लेखापरीक्षक होंगे। कार्यकारिणी समिति द्वारा इस सम्बन्ध में स्थापित नियम में अभिलेख का विवरण लिखा जायेगा।

अनुच्छेद 37 : विविध :–

(क) कोई भी व्यक्ति दो समानान्तर समितियों का सदस्य नहीं होगा।
(ख) एक समिति यदि चाहे तो अपने अधिकारों को लघुतर समिति या व्यक्ति विशेष को सौंप सकती है।
(ग) सभी पार्टी मामलों के लिए पिछली उपलब्ध जनगणना को आधार माना जायगा।
(घ) जहाँ पर भिन्न अंक की मूल्यता का प्रश्न उठेगा वहाँ पर आधा या आधे से अधिक को पूर्ण और आधे से कम को शून्य समझा जायेगा।
(ङ) इस संविधान में जहाँ कहीं भी शब्द 'वोट' या इसका तात्पर्य आयेगा उसका अर्थ 'वैध मत' समझा जायेगा।
(च) पार्टी की प्रदेश, जिला तथा अन्य अधीनस्थ समितियाँ अपने सदस्यों में से अध्यक्ष, उपाध्यक्षों, कोषाध्यक्ष और कार्य समिति के सदस्यों का चुनाव करेगी। सम्बन्धित समिति के अध्यक्ष कार्य समिति के सदस्यों में से सचिवों की नियुक्ति करेंगे।

(छ) संविधान के अन्तर्गत इसके प्रावधानों, अन्तर्लेखों, इसमें निहित कार्यप्रणालियों की व्याख्याओं पर सम्बन्धित सदस्यों और समिति या समितियों के मध्य यदि कोई विवाद का प्रश्न उठता है तो संविधान में निर्दिष्ट समुचित प्राधिकारीगण इस पर निश्चित निर्णय लेंगे और ऐसे प्राधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा जिसे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के सभी सदस्यगण और समितियाँ मानने के लिए बाध्य होंगी एवं इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

(ज) सदस्य जो पार्टी की किसी समिति की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहेगा तो उस सम्बन्धित समिति से उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

अनुच्छेद 38 : संविधान में परिवर्तन :–

पार्टी के केवल राष्ट्रीय अधिवेशन द्वारा ही संविधान में संशोधन, परिवर्तन या योग हो सकता है। जब राष्ट्रीय अधिवेशन का सत्र न हो रहा हो तब यदि कार्यकारिणी समिति चाहे तो राष्ट्रीय समिति को यह अधिकार होगा कि वह अनुच्छेद 2 (उद्देश्य) सम्बन्धी मामले को छोड़कर संविधान में संशोधन, परिवर्तन या योग कर सकती है, परन्तु ऐसे योग, परिवर्तन और संशोधन को राष्ट्रीय समिति की एक बैठक में जो विशेष रुप से इस कार्य हेतु बुलाई गई हो और प्रस्तावित बदलाव की सूचना प्रत्येक सदस्य को बैठक आयोजित होने की तिथि से कम से कम एक माह पहले दे दी गई हो, में उपस्थित सदस्यों के मतदान की दो तिहाई बहुमत से पारित हो। राष्ट्रीय समिति द्वारा किए गए परिवर्तन को अगली राष्ट्रीय अधिवेशन में अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत की जाएगी, परन्तु यह परिवर्तन राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुसमर्थन से पहले राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्धारित तिथि से लागू किया जा सकता है।

प्रपत्र – 'क'

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के संविधान के अनुच्छेद 6(i)(ब) के अन्तर्गत प्राथमिक सदस्यता प्रपत्र – 'क'

मैं, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के रुप में नामांकित होना चाहता/चाहती हूँ/अपनी प्राथमिक सदस्यता का नवीनीकरन कराना चाहता/चाहती हूँ। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी संविधान के अनुच्छेद 2 (उद्देश्य अनुच्छेद) को मैने पढ़/समझ लिया है और इसे स्वीकार करता/करती हूँ।

मैं, किसी अन्य राजनीतिक दल, साम्प्रदायिक या अन्य जिसकी अलग से सदस्यता, संविधान और कार्यक्रम है, का सदस्य/सदस्या नहीं हूँ। मैं यहाँ रू. 5.00 वर्ष/वर्षों का/के सदस्यता शुल्क अंशदान स्वरूप जमा कर रहा/रही हूँ।

नाम : _____

(*) लिंग : पुरूष/स्त्री (जो भी लागू हो, उस पर निशान लगायें)

(*) सम्बद्ध : अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक (जो भी लागू हो, उस पर निशान लगायें)

पिता/पति का नाम : _____

स्थायी पता : _____

निवास अथवा कार्य का स्थायी पता : _____

आयु : _____ व्यवसाय : _____

इकाई समिति : _____ क्रम संख्या : _____

नाम : _____ प्रखण्ड का नाम : _____

_____ _____

अंगूठा निशान पर सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर प्रार्थी का हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान

दिनांक : _____ _____

नामांकनकर्ता के हस्ताक्षर

द्रष्टव्य : पता पूर्ण व स्पष्ट होना चाहिए जिसे सरलता से ढूँढ़ा जा सके।

.

_____ जिला समिति के सचिव द्वारा टिप्पणी। श्री/श्रीमती/सुश्री _____

का उपरोक्त आवेदन के साथ रू0 5/– _____ वर्ष/वर्षों की सदस्यता शुल्क के रुप में इस कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसे नामांकनकर्ता श्री/श्रीमती/सुश्री _____

द्वारा जमा करा दिया गया है। जिला समिति पंजी में क्रम संख्या _____ है।

दिनांक : _____ _____

सचिव के हस्ताक्षर

_____ जिला समिति

.

प्रपत्र – 'क'

अभ्यर्थी को दी जाने वाली रसीद : रसीद संख्या : _____

श्री/ श्रीमती/सुश्री _____ के/की प्राथमिक सदस्यता प्रपत्र के साथ रू 5.00 (रूपए पाँच केवल) _____ वर्ष/वर्षों हेतु प्राप्त हुआ।

_____ _____

नामांकनकर्ता के हस्ताक्षर सचिव के हस्ताक्षर

दिनांक : _____ _____ जिला समिति

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के संविधान के अनुच्छेद 6(x) के अन्तर्गत
सक्रिय सदस्यता प्रपत्र – 'ख'

मैं, _____ वर्षों के लिए राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी की सक्रिय सदस्यता के रुप में नामांकित होना चाहता/चाहती हूँ।

मैंने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी संविधान के अनुच्छेद 2 (उद्देश्य अनुच्छेद) को पढ़/समझ लिया है और इसे स्वीकार करता/करती हूँ। मैं, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी का प्राथमिक सदस्य/सदस्या हूँ। मैंने घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है जो आवश्यकतानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के अनुच्छेद 6 **(x)** के अधीन संलग्न पत्र के दूसरी ओर है।

मैं, यहाँ अपने द्वारा नामांकित 10 प्राथमिक सदस्यों की सदस्यता शुल्क रू0 50.00 एवं वर्ष _____ के लिए सक्रिय सदस्यता शुल्क रू0 5.00 तथा पार्टी पत्रिका हेतु अंशदान रू0 60/–/रू0 50/–/रू0 25/– तीन वर्ष/दो वर्ष/एक वर्ष के लिए जमा कर रहा हूँ।

नाम :

(*) लिंग : पुरूष/स्त्री (जो भी लागू हो, उस पर निशान लगायें)

(*) सम्बद्ध : अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक (जो भी लागू हो, उस पर निशान लगायें)

पिता/पति का नाम :

स्थायी पता : _____

निवास अथवा कार्य का स्थायी पता : _____

इकाई/प्राथमिक समिति का नाम : _____

आयु : _____ व्यवसाय : _____

अधीनस्थ समिति का नाम जिसके अन्तर्गत अभ्यर्थी प्राथमिक सदस्य है : _____

रसीद संख्या : _____ दिनांक : _____

_____ _____

अंगूठा निशान पर सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर प्रार्थी का हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान

नामांकनकर्ता के हस्ताक्षर दिनांक : _____

द्रष्टव्य : पता पूर्ण व स्पष्ट होना चाहिए जिसे सरलता से ढूँढ़ा जा सके।

.

_____ जिला समिति के सचिव द्वारा टिप्पणी।

दिनांक _____ को रू0 5.00 के साथ रु0 50/– तथा पार्टी पत्रिका हेतु अंशदान रु0 60/–/ रू0 50/–/ रू0 25/– तीन वर्ष/दो वर्ष/एक वर्ष के लिए प्राप्त किया ।

दिनांक : _____

सचिव के हस्ताक्षर

_____ जिला समिति

.

प्रपत्र 'ख'

अभ्यर्थी को दी जाने वाली रसीद : रसीद संख्या : _____

श्री/ श्रीमती/सुश्री _____ पता : _____

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्यता शुल्क रू0 5/– के साथ 10 प्राथमिक सदस्यों का शुल्क रू0 50/– तथा पार्टी पत्रिका हेतु अंशदान रु0 60/–/ रू0 50/–/ रू0 25/– तीन वर्ष/दो वर्ष/एक वर्ष के लिए आवेदन प्राप्त हुआ ।

_____ _____

नामांकनकर्ता के हस्ताक्षर सचिव के हस्ताक्षर

दिनांक : _____ _____ जिला समिति

घोषणा

मैं यहाँ घोषणा करता/करती हूँ कि :–

(i) मैं, देश में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य/सदस्या नहीं हूँ ;

(ii) मैं देश में किसी भी न्यायालय द्वारा आपराधिक जुर्म में दण्डित नहीं किया गया/की गई हूँ एवं आज की तिथि तक भारत अथवा विदेश के किसी भी न्यायालय में मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है ;

(iii) मैं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के संविधान में वर्णित अनुच्छेद 2 (उद्देश्य अनुच्छेद) में उल्लेखित उद्देश्यों के विस्तार में कार्य करूँगा/करूँगी एवं योगदान दूँगा/दूँगी ;

(iv) मैं, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के संविधान के अंतर्गत निर्मित नियमों एवं वर्णित शर्तों का अनुपालन करूँगा/करूँगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक : _____

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के संविधान के अनुच्छेद 6(xiv) के अन्तर्गत
सक्रिय सदस्यता प्रपत्र – 'ग'

मैं, अपनी सक्रिय सदस्यता के नवीनीकरण हेतु, जो नीचे वर्णित है, वर्ष _____ के लिए संविधान के अनुच्छेद 6 (xiv) के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार मेरे द्वारा नामांकित 10 प्राथमिक सदस्यों की सदस्यता शुल्क रू0 5/– के साथ रू0 50/– जमा कर आवेदन करता/करती हूँ।

मैने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के संविधान के अनुच्छेद 2 (उद्देश्य) को पढ़/समझ लिया है और इसे स्वीकार करता/करती हूँ।

नाम :

(*) लिंग : पुरूष/स्त्री (जो भी लागू हो, उस पर निशान लगायें)

(*) से सम्बद्ध : अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक (जो भी लागू हो, उस पर निशान लगायें)

पिता/पति का नाम :

स्थायी पता :

निवास अथवा कार्य का स्थायी पता :

.....

आयु : _____ व्यवसाय :

अधीनस्थ समिति का नाम जिसके अन्तर्गत प्रार्थी प्राथमिक सदस्य है :

इकाई/प्राथमिक समितियों का नाम :

प्राथमिक क्षेत्र समिति का नाम :

प्राथमिक सदस्यता पंजी में क्रम संख्या :

सक्रिय सदस्यता पंजी में क्रम संख्या :

सक्रिय सदस्यता पंजी में क्रम संख्या (पिछली अवधि) :

_____ _____

अंगूठा निशान पर सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर प्रार्थी का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

नामांकनकर्ता के हस्ताक्षर दिनांक : _____

.....

द्रष्टव्य : पता पूर्ण व स्पष्ट होनी चाहिए जिसे सरलता से ढूँढ़ा जा सके।

.

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री _____ का सक्रिय सदस्यता का नवीनीकरण प्रपत्र नवीनीकरण सदस्यता शुल्क रू0 5/– के साथ प्रार्थी द्वारा नामांकित 10 प्राथमिक सदस्यों की सदस्यता शुल्क रू0 50/– तथा पार्टी पत्रिका हेतु अंशदान रु0 60/–/ रू0 50/–/ रू0 25/– जो तीन वर्ष/दो वर्ष/एक वर्ष के लिए है, इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

दिनांक : _____ _____

सचिव के हस्ताक्षर

_____ जिला समिति

.

अभ्यर्थी को दी जाने वाली रसीद : रसीद संख्या : _____ **प्रपत्र 'ग'**

दिनांक _____ को श्री/श्रीमती/सुश्री पता :

से वर्ष _____ के लिए राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्यता शुल्क रू0 5/– के साथ 10 प्राथमिक सदस्यों का शुल्क रू0/– 50/– तथा पार्टी पत्रिका हेतु अंशदान रु0 60/–/ रू0 50/–/ रू0 25/– तीन वर्ष/दो वर्ष/एक वर्ष के लिए आवेदन प्राप्त हुआ ।

_____ _____

नामांकनकर्ता के हस्ताक्षर सचिव के हस्ताक्षर

दिनांक : _____ _____ जिला समिति